

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 235 / 2014 / जयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वार्ड—प्रथम, प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स ई.पी.ई. इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,  
बी—12, जयपुर टावर, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ  
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एन. के. बैद,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एस. के. जैन, अधिकृत प्रतिनिधि

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 01 / 06 / 2015

### निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी—प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 175 / अपील्स—1 / आरवीएटी / जी / जयपुर / 2012—13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 05.07.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट—प्रथम, प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 27.06.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 20.06.2012 को वाहन संख्या जी.जे.—18 / यू—7672 को एन.एच. 8, खजूरी जिला झूंगरपुर में चैक किये जाने पर वाहन में 'पी.वी.सी. पाईप' गांधीनगर (गुजरात) से जयपुर के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। माल प्रभारी/वाहन चालक द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित बिल व बिल्टी प्रस्तुत किये गये। सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन में परिवहनित माल को अधिसूचित श्रेणी का मानते हुए घोषणा प्रपत्र वेट—47 नहीं पाये जाने के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 76(2) सप्तित नियम 53 का उल्लंघन मानते हुए माल को निरुद्ध किया जाकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में वाहन चालक द्वारा जवाब दिनांक 22.6.2012 को प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि कानून की जानकारी नहीं होने के कारण वह घोषणा—पत्र प्रेषक व्यवहारी के वहीं भूल आया था, जो जवाब के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त जवाब के साथ वाहन चालक

नृपेन्द्र

लगातार ..... 2

द्वारा घोषणा—पत्र वैट—47 संख्या 9564002 पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रस्तुत किया। सक्षम अधिकारी ने उक्त जवाब एवं घोषणा—पत्र को बाद की सोच मानते हुए अस्वीकार कर दिया एवं आदेश दिनांक 27.6.2012 से धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 2,01,142/- एवं वैट रूपये 33,524/- का आरोपण किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2013 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि वक्त जांच वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित घोषणा प्रपत्र वैट—47 माल के साथ नहीं पाये जाने पर व्यवहारी के वेट अधिनियम की धारा 76(2) सपष्टित नियम 53 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी के जवाब के साथ बाद में प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र वैट—47 को स्वीकार करते हुए सक्षम अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने में विधिक भूल की गई है। विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त कथन के साथ राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि माल के साथ बिल व बिल्टी मौजूद थे। घोषणा—पत्र वैट—47 वाहन चालक प्रेषक व्यवहारी के वहीं भूल आया था, जो कि कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रथम उपलब्ध अवसर पर सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया गया। प्रकरण में करापवंचन की कोई सम्भावना नहीं है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी.पी.मैटल्स (2001) 124 एस.टी.सी. 611 का हवाला देते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया।

6. इस प्रकरण में दिनांक 20.6.2012 को वाहन चैक किये जाने पर माल के दस्तावेजों के साथ घोषणा प्रपत्र वैट—47 नहीं पाया गया। इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब के साथ घोषणा प्रपत्र

वेट-47 संख्या 9564002 पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रस्तुत कर दिया गया। साथ ही वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किये जाने का कारण भी बता दिया गया था। ऐसी स्थिति में जवाब के साथ घोषणा-पत्र प्रस्तुत कर देने से माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2001) 124 एस.टी.सी. 611 की पालना हो जाती है। इस प्रकार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये नोटिस की पालना में प्रथम उपलब्ध अवसर पर वांछित दस्तावेज सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया एवं सक्षम अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की जांच से इस दस्तावेज को असत्य/बोगस भी प्रमाणित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानकर धारा 76(6) के तहत शास्ति एवं वैट आरोपण हेतु पारित किया गया आदेश विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी पी मैटल्स [(2001) 124 एस.टी.सी. 611] में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में भी विधिसम्मत नहीं है।

7. उक्त विवेचन के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति एवं वैट आरोपित किया जाना अविधिक एवं अनुचित है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त अविधिक आदेश को अपास्त किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं किये जाने से अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

8. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

*मनोहर पुरी*  
मनोहर पुरी  
( मनोहर पुरी )  
सदस्य